I/128709/2022 49-1099/523/2021--1-

प्रेषक,

बी0 चन्द्रकला,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक ,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 04 जनवरी, 2022

विषय- प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों में एक मुश्त समाधान योजना की अवधि दिनांक 31.03.2022 तक बढ़ाये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-4789/ अधि0-2/ओ0 टी0एस0 दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों में आपके स्तर से पूर्व से लागू एक मुश्त समाधान योजना की अवधि दिनांक 31.03.2022 तक बढ़ाये जाने की औपचारिक सहमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि बी0सी0एस0ए मोबाइल वैन, माइक्रो एटीएम, यू0पी0सी0बी0/डी0सी0बी0 द्वारा एमआईएस योजना के माध्यम से अधिकतम वसूली सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीया

(बी0 चन्द्रकला)
विशेष सचिव

प्रतिलिपि- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(बी0 चन्द्रकला)
विशेष सचिव